रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद्र 9, 1938

No. 284] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2016

सं. 27/2015–2020

विषय : (क) निर्यात और आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय–61 और 62 के तहत परिधान एवं वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को शामिल करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 में संशोधन। (ख) परिधान एवं वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि से संबंधित परिशिष्ट 4–ञ में संशोधन।

फा.सं.01/94/180/21/एएम–17/पीसी–4.—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। ये संशोधन 1 सितम्बर, 2016 से लागू होंगे।

1. पैरा 4.02 (i) में संशोधन

पैरा 4.02 (i) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएः–

आईईसी धारक द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र/**परिधान एवं वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र**/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) प्रदान करने हेतु आवेदन परिशिष्ट–1 क के अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को आनलाइन प्रस्तुत (डिजिटल हस्ताक्षर सहित) किया जाएगा। आवेदक आईईसी धारक का पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय या शाखा कार्यालय या विनिर्माण एकक हो सकता है।

2. मौजूदा पैरा 4.45 के नीचे एक नया **पैरा 4.45क** निम्नानुसार जोड़ा जाता हैः–

निर्यात और आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय–61 और 62 के तहत शामिल परिधान एवं वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र।

(i) निर्यात और आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय–61 और 62 के तहत शामिल परिधान एवं वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.04क में निर्धारित है।

(ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.05, 4.06, 4.10, 4.11, 4.12(v) और (vi), 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.46, 4.47(ख), 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 के प्रावधान स्कीम पर लागू होंगे जब तक कि ये स्कीम के असंगत न हों।

3. **" परिधान एवं वस्त्र अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम हेतु निर्यात दायित्व अवधि"** से संबंधित परिशिष्ट–4ञ की सारणी में निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाता है।

4.

क्रम सं0	आयात वस्तु	सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रत्येक आयात खेप को प्रदान की गई स्वीकृति की तिथि से निर्यात दायित्व अवधि
10	परिधान एवं वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम (विदेश व्यापार नीति का पैरा 4.04क) के तहत अस्तर सहित कपड़े	प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.16 (vi) में यथा अनुमत प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तिथि से (आयात की तिथि से नहीं) 12 महीने तथा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42 (क), (ख), (ग) और (ङ) में यथा अनुमत आगे बढ़ाई गई अवधि तक।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के तहत परिधान और वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम हेतु प्रक्रिया को 1 सिम्तबर, 2016 लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st August, 2016

No. 27/2015—2020

Subject: **-(A) Amendments in Hand Book of Procedures 2015-20 for incorporating Procedure to be followed for Special Advance Authorization Scheme for export of articles of apparel and clothing accessories under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import. (B) Amendment in Appendix- 4 J relating to Export Obligation Period under Special Advance Authorization Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories.**

F. No. 01/94/180/21/AM17/PC-4.— In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in of Hand Book of Procedures 2015-20. These amendments shall come into force with effect from 1st September, 2016.

1. Amendments in Para 4.02(i)

Para 4.02(i) is amended to read as under:-

Application for grant of Advance Authorisation /Special Advance Authorization for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories / Advance Authorisation for Annual Requirement / Duty Free Import Authorisation (DFIA) shall be filed online (digitally signed) by IEC holder to the concerned jurisdictional Regional Authority as per Appendix 1A. Applicant could be either registered office or head office or a branch office or a manufacturing unit of the IEC holder.

2. Below existing Para 4.45, a new Para 4.45A is added as follows:-

Special Advance Authorisation for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories covered under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import.

(i) Policy relating to Special Advance Authorisation for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories covered under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import is prescribed in Para 4.04A of Foreign Trade Policy.

(ii) Provisions of Para 4.05, 4.06, 4.10, 4.11,4.12(v)&(vi), 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.46, 4.47(b), 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 of Hand Book of Procedures shall be applicable to this scheme in so far as they are not inconsistent with this scheme.

3. Following Entry is added in the table of Appendix- 4 J related to "Export Obligation Period for Special Advance Authorization Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories."

4.

Sl No.	Import Items	Export Obligation Period from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority
10	Fabrics including interlining under Special Advance Authorization Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories (Para 4.04A of FTP)	12 months from the date of issue of authorisation (not from the date of import) as allowed in Para 2.16(vi) of HBP and further extension as allowed in Para 4.42(a), (b), (c) and (e) of HBP.

Effect of this Public Notice:-Procedure for Special Advance Authorisation scheme for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import has been specified to come into effect from 1st September 2016.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.03 10:47:34 +05'30'